लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.3/ग्रंथा./डी–2/10/2009/2663 भोपाल, दिनांक 5.09.2009

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी,
इंदौर,उज्जैन,जबलपुर,होशंगाबाद एवं
सीहोर मध्यप्रदेश ।

विषयः– **वर्ष 2007 में विशेष भरती अभियान के अन्तर्गत नियुक्त ग्रंथपाल (उच्च वेतनमान) की परिवीक्षा अवधि हटाने के संबंध में ।**

सन्दर्भः– लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र./स्था.3/डी–2/बैकलाग नियु./25/2006/05,दिनांक 05.01.07. संचालनालय का पत्र क्रमांक/स्था.3/ग्रंथा./डी–2/10/2009/भोपाल, दिनांक 29.07.2009 एवं स्मरण पत्र दि.12.08.2009.

––00––

विषयांकित प्रकरण में संचालनालय के संदर्भित आदेश जिसमें उल्लेखित कर्मचारियों को ग्रंथपाल (उच्च वेतनमान) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि वर्ष 2007 में पूर्ण हो चुकी है । परिवीक्षा अवधि हटाने के लिए आपके जिले से संबंधित कर्मचारियों की परिवीक्षाकाल की गोपनीय चरित्रावलियॉ, एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि सहित मय अनुशंसा के साथ प्रस्ताव दिनांक 31/07/2009 एवं पुनःस्मरण पत्र दि. 12.08.2009 में दि.17.08.2009 तक अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थें। संचालनालय में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दि.20.08.2009 में निम्नांकित प्रकरणों को पूर्ण न होने के कारण परिभ्रमण में रखा गया है :–

स.क्र.	विशेष भरती अभियान के अन्तर्गत नियुक्त ग्रंथपाल (उच्च वेतनमान)	कार्यरत संस्था	प्रकरण के अपूर्ण होने का कारण
1.	श्रीमती हेमलता चौधरी (अपिव)	जिला ग्रंथालय, इन्दौर	02 बर्ष की गो.च.,कार्यभार ग्रहण करने की तिथि,कोई जांच नहीं है संबंधी प्रमाण–पत्र एवं विधिवत अनुशंसा सहित प्रस्ताव अप्राप्त है। **(परिभ्रमण में अनुशंसित)**
2.	कु.अंजली बड़कुर (अपिव)	जिला ग्रंथालय ,उज्जैन	
3.	श्री बीरेन्द्र कुमार पटेल (अपिव)	जिला ग्रंथालय, जबलपुर	
4.	श्रीमती निशा बातव (अजा)	जिला ग्रंथालय, सीहोर	

कृपया उक्त प्रकरणों के संबंध में आवश्यक पूर्ति उपरान्त तत्काल संचालनालय को प्रस्ताव भेजने की व्यवस्था करें जिससे समिति की पुनरीक्षित बैठक आगामी तिथि में आयोजित कर परीविक्षा अवधि के प्रकरणों का निराकरण किया जा सकें।

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

निरंतर...2...

पृ.क्रमांक/स्था.3/ग्रंथा./डी–2/10/2009/2664 भोपाल, दिनांक 5 .09.2009

प्रतिलिपिः–

1/ संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण संभाग–इन्दौर,उज्जैन एवं जबलपुर म.प्र.की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक / स्था.3 / ग्रंथा. / डी–2 / 10 / 2009 / 2665 भोपाल, दिनांक 5 / 09 / 2009

5-9-09

:: आदेश ::

विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत ग्रंथपाल (उच्च वेतनमान) के बैकलाग 04 अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 01 अनुसूचित जाति कुल–05 पदो की भर्ती संचालनालय के आदेश क्रमांक / स्था.–3 / डी- 2 / बैकलाग नियुक्ति / 25 / 2006 / 05–06, दिनांक 05.01.2007 के द्वारा ग्रंथपाल (उच्च वेतनमान) के पद पर वेतनमान 4500–7000 में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्ति की गई थी।

2/ अपर संचालक,लोक शिक्षण की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 20.08.2009 को सम्पन्न हुई। परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मचारियों का कार्य संतोषजनक पाए जाने पर समिति की अनुशंसा दिनांक 20.08.2009 के प्रकाश में कॉलम–2 में अंकित लोक सेवक के द्वारा उनके नाम के सम्मुख कालम–04 एवं कालम–05 में अंकित तिथियों में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण की है । इन्हें उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक (कालम–04) से ग्रंथपाल (उच्च वेतनमान) के पद पर वेतनमान 4500–7000 में स्थायी करते हुये कालम–06 में अंकित तिथि से नियमित वेतनवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

स.क्र.	ग्रंथपाल (उच्च वेतनमान) का नाम	कार्यरत संस्था	कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक	दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने का दिनांक	नियमित वेतनवृद्धि तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री दिनेश खड़े	कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल	15.01.07	15.01.09	15.01.08

3/ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र.एफ 13–6 / 77 / 3 / 1 दिनांक 30.05.77 के प्रकाश में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार एक साथ दो वेतन वृद्धियां देय होगी अर्थात कार्यभार ग्रहण दिनांक के एक वर्ष बाद प्रथम तथा दो वर्ष बाद दूसरी वेतन वृद्धि देय होगी।
"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ.क्र. / स्था.3 / ग्रंथा. / डी–2 / 10 / 2009 / 2666 भोपाल, दिनांक 5 / 09 / 2009

5-9-09

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
3. सहायक संचालक,स्थापना–3,ग्रंथालय एवं लेखा(स्थानीय) की ओर उक्तानुसार सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
3. कोषालय अधिकारी, जिला–भोपाल मध्यप्रदेश ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला–भोपाल मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

5. संबंधित श्री / श्रीमती / कु0 ————————————————
————————————————————————

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश